Case No.-26/2025

Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Appeal Case No.- 26 /2025]

Ramji Mehta...Appellant

Versus

Ramdhari Mehta ....Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.10.2025	(see below)	

21.10.2025

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर, सुपौल द्वारा BLDR वाद संख्या-19/2024-25 में दिनांक- 30.01.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

दिनांक-11.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का अभिकथन Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का Written Argument दाखिल है।

वाद-पत्र के अनुसार प्रश्नगत जमीन का विवरणी निम्न हैः-

अंचल	मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा
बसंतपुर	परवाहा	पुराना-33	पुराना-286, नया-778	61 डी0
			पुराना-377 नया-786	50 डी0

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों, वाद-पत्र, Reply/Rejoinder, Written Argument तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि वस्तुतः उभय पक्ष की ओर से प्रश्नगत जमीन के संबंध में Sale Deed के माध्यम से क्रय कर जमाबंदी कायम कराने/शांतिपूर्ण दखल-कब्जा का दावा किया जा रहा है। विपक्षी का कहना है कि उनका अपीलार्थी के जमीन से कोई सरोकार नहीं है। तथा यह कि अपीलार्थी द्वारा गलत नियत से उनकी जमीन पर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। वाद-पत्र में प्रश्नगत जमीन का चौहद्दी अंकित नहीं करना इसका प्रमाण है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के बीच मापी/सीमांकन का विवाद है। निम्न न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी पक्ष का प्रश्नगत जमीन पर Legal Right निर्धारित नहीं किया गया है। अपितु अंचल अधिकारी, बसंतपुर को प्रश्नगत भूमि विवाद के निष्पादन हेतु पुलिस बल की उपस्थिति में अंचल अमीन से जमीन का मापी एवं सीमांकन कराते हुए प्रश्नगत विवाद का निपटारा करने का निदेश दिया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि अधिकतम 4 सप्ताह के अंदर दो अंचल के अमीनों की टीम बनाकर उभय पक्ष के उपस्थिति में विधिवत रूप से प्रश्नगत जमीन का मापी एवं सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें।

Rajeev K.
21/10/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Rajeev K.
21/10/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा
सत्यमेव जयते